[2010] 12 एस. सी. आर 1108

उत्तरांचल राज्य

(अब उत्तराखंड के राज्य के रूप में जाना जाता है) और अन्य

बनाम

एम/एस. खुराना ब्रदर्स

(सिविल अपील सं. 5876/2009)

27 अक्टूबर, 2010

[पी. सतशिवम और आर. एम. लोधा, जे. जे.]

स्टाम्प अधिनियम, 1899: धारा 2 (10) अनुसूची I-B; अनुच्छेद 23-बिक्री अनुबंध – नीलामी - बोली - बोली की स्वीकृति - अनुबंध के सदर्भ में नीलामी की गई लॉट अपनी बोली कीस्वकृति की तारीख से क्रेता के जोखिम पर रहेगी और विक्रेता किसी भी नुकसान और क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। धारित – अनुंबंध के परिणामस्वरूप नीलामी के समय से सम्पत्ति क्रेता में निहित हो गई । यह चल सम्पति और संवहन के हस्तांतरण की राशि थी जैसा कि धारा 2 (10) के तहत परिभाषित किया गया था और अनुच्छेद 23, अनुसूची I-B- अनुबंध के तहत स्टाम्प शुल्क के लिए प्रभार्य था। माल विक्रय अधि० 1930 धारा 4

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 5876/2009

नैनीताल में उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के अपील संख्या 2345/2004 डब्ल्यू.पी.सं. 902/2001 (एम/बी) में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 27.12.2007 से उत्पन्न।

के साथ

सिविल अपील सं. 5878, 5879, 5880/2009

पी. एन. गुप्ता ओर से प्रार्थी

एस.पी. कालरा, शैलेंद्र भारद्वाज, अरविंद कुमार शर्मा, सुमित कुमार ओर से अप्रार्थी

आर. एम. लोधा, जे.

1. यह चार अपीलें उत्तरांचल राज्य और उसके वन विभाग के अधिकारियों के अनुरोध पर उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 27 दिसम्बर, 2007 के निर्णय के विरूद्ध निर्देशित है, जिसके तहत डिवीजन बेंच ने वर्तमान उत्तरादाताओं (रिट याचिकाकर्ताओं) द्वारा दायर समीक्षा याचिकाओं की अनुमति दी थी और 13 अप्रैल, 2004 के अपने पहले के फैसले की समीक्षा की और इस तरह दायर की गई रिट याचिकाओं को यह मानते हुए अनुमति दी कि वे कच्चे राल की बिक्री के अनुबंध से संबंधित दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं थे। चूंकि अपीलों के इस समूह में शामिल तथ्य और दस्तावेज समान हैं, इसलिए सुविधा के लिए हम 2009 के सिविल अपील

सं. 5876 में तथ्यों और दस्तावेजों का उल्लेख करेंगे। इस तरह से विवाद पैदा होता है।

2. संभागीय वन अधिकारी, नैनीताल वन क्षेत्र, नैनीताल ने भुवाली वन विश्रामघर में 24 मार्च, 2001 में राल की सार्वजनिक नीलामी को अधिसूचित किया। रिट याचिकाकर्ता (खुराना भाइयों) ने उस सार्वजनिक नीलामी में भाग लिया। इसकी बोली कुल रु. 3,90,000 / - की उच्चतम बोली को संभागीय वन अधिकारी नैनीताल द्वारा स्वीकार कर लिया गया तथा कच्चे राल की बिक्री का औपचारिक अनुबंध राज्यपाल के नाम पर राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी व रिट याचिकाकर्ता के मध्य किया गया। इसके बाद एक पत्र 7 अप्रैल, 2001 को जारी किया गया जिसमें रिट याचिकाकर्ता को अनुबंधित राल 60 दिनों के भीतर उठाने के लिए कहा गया।

3. पक्षों के बीच कच्चे राल की बिक्री का अनुबंध इस प्रकार हैः-

"कच्चे राल के अनुबंध का प्रपत्र लॉट नंबर 7 से 10/2001

विलेख का मूल्य रु 3,90,000/- (तीन लाख नब्बे हजार रूपए मात्र)

यह अनुबंध 24 मार्च, 2001 को उत्तरांचल के राज्यपाल (इसके बाद इसे विक्रेता कहा जाएगा) और श्री खुराना ब्रदर्स, ऋषिकेश (इसके बाद "क्रेता" कहा जाएगा

जिसकी अभिव्यक्ति में इसके निष्पादक, प्रशासक, उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल है) के बीच किया गया। दूसरे भाग का अवलोकन इस प्रकार हैः

विक्रेता को क्रेता द्वारा किए जाने वाले भुगतान को ध्यान में रखते हुए 1950.00/- रूपए (केवल एक हजार नौ सो पचास रूपए) प्रति क्विंटल की दर से भुगतान करना होगा, जिसकी गणना प्रति क्विंटल नग्न (पात्र के बिना) की जाएगी और इसके अलावा क्रेता को राल की कुल बिक्री मूल्य पर बिक्रीकर 79 प्रतिशत या बिक्री के समय जो दर लागू होगी वह निम्नलिखित नियमों व शर्तों के अधीनः

शर्तेंः

(ए) लगभग 1160 (एक हजार एक सौ साठ) टिन 200 (दो सौ) क्विंटल कच्चा राल (शुद्ध वजन) डिपो सुल्तान नगरी में वितरित किया जाएगा। मात्रा में 10 प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो सकती है और खरीदार को विक्रेता द्वारा उपलब्ध कराई गई मात्रा को स्वीकार करना होगा। राल का वजन उतना ही होगा जितना कि विक्रेता की बहियों में दर्ज किया गया है। विक्रेता वितरण के समय वजन के लिए क्रेता के दावे को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(बी) बोली की स्वीकृति के दिन से बेची गयी राल क्रेता के जोखिम पर रहेगी और किसी भी कारण से विक्रेता को होने वाली किसी भी हानि और नुकसान के लिए विक्रेता जिम्मेदार नहीं होगा।

(सी) बिक्री के अनुमोदन की तारीख के 60 दिनों के भीतर खरीदार को संपूर्ण राल को हटाना होगा। इसे निम्नानुसार 60 से अधिक किश्तों में नहीं हटाया जाएगा, जो इस प्रकार हैः

1.	भीतर	बिक्री के अनुमोदन के दिन।
2.	भीतर	बिक्री के अनुमोदन के दिन।
3.	भीतर	बिक्री के अनुमोदन के दिन।
4.	भीतर	बिक्री के अनुमोदन के दिन।

खरीदार संभागीय वन अधिकारी, नैनीताल वन क्षेत्र नैनीताल की केवल लिखित अनुमति के साथ और राल की पूरी लागत का अग्रिम भुगतान और राल पर देय बिक्रीकर को अदा करने के पश्चात ही राल को हटा सकता है।

विक्रेता टीन में निहित राल की गुणवत्ता की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है और बदले में कोई राल देय नहीं होगी।

2. नीलामी के समय प्रति क्विंटल बोली के आधार पर गणना की गई लॉट की बिक्री मूल्य की राशि खरीदार द्वारा देय होगी चाहे वह सामग्री उठाता है या नहीं।

3. राल उठाने के अंतिम तिथि के बाद डिपो के भीतर यदि कोई भी राल या टिन बचाता है तो वह सरकार में निहित होगा और जब्त किया जाएगा और ऐसे राल या टिन के बदले में धनवापसी खरीदार को करनी होगी।

4. खंड 1 में निर्दिष्ट राल डिपो से खरीददार द्वारा किसी भी कच्चे राल निर्यात ऐसे मार्गों व ऐसी चौकियों से नहीं किया जाएगा जैसा कि वन कार्यालय द्वारा तय किया जा सकता है और लिखित रूप में दर्ज किया जा सकता है। पारगमन के दौरान किसी भी समय किसी भी वन अधिकारी द्वारा राल टिन की गणना और वजन किया जा सकता है।

5. खरीदार प्रस्तावित सभी एजेंटों और सेवकों के नाम उन्हें काम पर रखने से पहले वन अधिकारी को लिखित रूप में देगा और वन अधिकारी को किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति को प्रतिबंधित करने की स्वतंत्रता होगी, जिसको वह अवांछनीय मानता है।

6. खरीदार राल टिन को सुल्तान नगरी डिपो से नहीं निकालेगा।

7. क्रेता या एजेंटों या नौकरों द्वारा इस अनुबंध के किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में मैसर्स खुराना ब्रदर्स, ऋषिकेश ऐसे प्रत्येक उल्लंघन

के लिए जुर्माने के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा जो वन अधिकारी के विवेक पर प्रत्येक उल्लंघन के लिए 50 रूपए तक बढ़ाया जा सकता है।

8. इस समझौते या किसी वन कानून या नियम के उल्लंघन की स्थिति में किसी भी मामले के जांच और निर्णय तक वन कार्यालय के आदेशों के तहत खरीदार के तहत खरीददार के निर्यात पर रोक लगाई जा सकती है।

9. इस अनुबंध में ऐसा कुछ भी नहीं है जो खरीदार या उसके एजेंटों या सेवकों को वन कानूनों और नियमों के उल्लंघन के लिए आपराधिक कार्यवाही के दायित्व से छूट देता हो।

10. इस अनुबंध की किसी भी शर्त से संबंधित विवाद की स्थिति में इसे मुख्य वन संरक्षक उत्तरांचल द्वारा नियुक्त एक मात्र एकमात्र मध्यस्थ के पास भेजा जाएगा जिसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

11. विक्रेता को क्रेता से 39,000 रुपये की राशि प्राप्त हुई है, जिसकी रसीद को यहां पहले से निहित सभी अनुबंधों की उचित पूर्ति केलिढ सुरक्षा के रूप में स्वीकार किया जाता है। वन अधिकारी को ऐसी सुरक्षा राशि से कटौती करने का अधिकार है, जो खरीदार से देय हो सकती है, चाहे उसके द्वारा देय किसी भी मूल्य के संबंध में हो या इस अनुबंध के संबंध में किए गए किसी किसी जुर्माने या दायित्व के संबंध में हो। उपर्युक्त कटौतियां करने के बाद सुरक्षा राशि या उसका ऐसा शेष इस समझौते की समाप्ति पर

या उससे पहले, जब वन अधिकारी स्वयं संतुष्ट हो जाएगा कि इस अनुबंध की सभी शर्तें विधिवत हो गई है और क्रेता द्वारा ईमानदारी से पूरा किया गया है, खरीददार को वापिस कर दिया जाएगा।

12. इस विलेख पर देय स्टाम्प शुल्क और इस विलेख के पंजीकरण का शुल्क क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा।

13. वर्तमान बिक्री पर किसी भी कानून द्वारा लगाया गया कोई भी कर खरीदार द्वारा देय।

14. इस विलेख के तहत खरीदार द्वारा देय कोई भी राशि चाहे वह विक्रय प्रतिफल या जुर्माना या अन्य प्रकार का बकाया हो, भू राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी।

उपर्युक्त में हस्ताक्षर करने के लिए उत्तरांचल के राज्यपाल की ओर से वन संरक्षक दक्षिणी कुमाउ वृत्त उत्तरांचल और मैसर्स खुराना ब्रदर्स, गोपाल मंदिर, ऋषिकेश मौजूद है।

खरीदारः

वन संरक्षक

खुराना ब्रदर्स

4. संभागीय वन अधिकारी द्वारा रिट याचिकाकर्ता को जारी पत्र 7 अप्रैल, 2001 इस प्रकार हैः

" प्रभागीय वन अधिकारी कार्यालय

नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल

पत्र सं. 4566/39-8.9 दिनांकित नैनीताल 7-4-2001

प्रेषिति,

खुराना ब्रदर्स ऋषिकेश

गोपाल मंदिर ऋषिकेश

विषयः 24-3-2001 को भुवाली वन विश्राम गृह में आयोजित सार्वजनिक नीलमी में खरीदे गए लीसा लॉज की स्वीकृति।

संदर्भः वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊं सर्कल, उत्तरांचल नैनीताल का पत्र सं. 955/39-8 दिनांकित 31-0-2001

महोदय,

भुवाली वन विश्राम गृह में 24-3-2001 को आयोजित सार्वजनिक नीलामी में आपके द्वारा दी गई बोली में निम्नलिखित राल के लिए आपके नाम पर स्वीकार की गई ।

संभाग का नाम – पूर्व अलीमोरा

लॉट नं. - 314 से 319/2001

राल खरीद टिन नम्बर- 1740

राल खरीद मात्रा (क्विंटल में) – 295 300

बोली प्रति क्विंटल में स्वीकृत रूपए – 1956/-

कुल राशि - 586800

डिपो का नाम जहां से - सुल्तान नगरी

अतः नीलामी नोटिस में वर्णित शर्तों की पालना तथा डिपो सुल्तान नगरी काठ गोदाम में अग्रिम जमा करवाकर पत्र जारी होने से 60 दिनों के भीतर आपको उपर्युक्त राल उठाने की व्यवस्था करनी होगी।

1. खरीदे गए राल की कुल राशि का चालान संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी के पक्ष में प्रस्तुत करना।

2. उत्तरप्रदेश राल एवं अन्य वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 10 के अनुसार पंजीयन के लिए आवश्यक पंजीकरण प्रमाण पत्र विभाग में पंजीकरण के लिए विभाग में जमा करना।

3. राल उठाने से पहले नीलामी की तारीख पर प्रचलित दरों पर राल और व्यापार कर की कुल कीमत का भुगतान अनिवार्य होगा।

4. उपयोग ईंधन से संबंधित विवरण के साथ सभी स्रोतों से प्राप्त राल का विवरण और राल उठाने से पहले प्राप्त राल से निर्मित उत्पादों पर व्यापार कर के भुगतान का विवरण डिपो अधिकारी राल डिपो के पास जमा किया जाना चाहिए।

5. ऐसी खरीद पर नियमानुसार और सरकारी आदेश स्टाम्प शुल्क देय होगा।

6. जिला बोर्ड के लिए अंशदान 5/-रूपए प्रति क्विंटल क्रय की गई राल पर देय होगा।

7. नियमों के अनुसार निर्धारित आयकर और अधिभार भुगतान किया जाएगा।

एसडी /

प्रभागीय वन अधिकारी

नैनीताल वन प्रभाग "

5. विचार के लिए जो संक्षिप्त प्रश्न उठता है वह यह है कि क्या कच्चे राल की बिक्री का उपरोक्त अनुबंध भारतीय स्टाम्प अधि. 1899 की धारा 2 (10) के तहत परिभाषित संवहन के बराबर है और यदि उत्तर सकारात्मक है, तो क्या उस पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य है। उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए दस्तावेज सही और वास्तविक अर्थ सुनिश्चित करना आवश्यकता है।

जब हम अनुबंध पर नजर डालेंगे तो पता चलेगा कि अनुबंध में बताई गई कीमत पर रिट याचिकाकर्ता को कच्चे राल की निर्दिष्ट मात्रा वितरित करने के लिए राज्य सरकार सहमत है। पार्टियां इस बात का पर सहमत हुई कि 10 प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो सकती है और क्रेता को बिक्री की मजूरी की तारीख से 60 दिनों के भीतर राल को हटाना होगा और इसे 60 से अधिक किस्तों में नहीं हटाया जाएगा। अनुबंध की शर्तों के अनुसार, खरीदार को बिक्री मूल्य की राशि का भुगतान करना आवश्यक है चाहे इस तथ्य की परवाह किए बिना कि राल की अनुबंधित मात्रा उसके द्वारा उठाई गई थी या नहीं। 7 अप्रैल, 2001 को एक बाद के संचार द्वारा, क्रेता को उसके पक्ष में बताए गए राल लॉट की स्वीकृति के बारे में सूचित किया गया थाऔर उस पत्र के जारी होने के 60 दिनों के भीतर इसे उठाने की व्यवस्था करने के लिए कहा गया था।

6. माल बिक्री अधिनियम, 1930 की धारा 4 इस प्रकार है -

" धारा 4. बिक्री और बेचने का समझौता -

(1) माल की बिक्री का अनुबंध एक अनुबंध है जिसके द्वारा विक्रेता माल में सम्पत्ति को मूल्य के लिए खरीददार को हस्तांतरित करता है या हस्तांतरित करने के लिए सहमत होता है। एक भागिक स्वामी और दूसरे भागिक स्वामी के बीच विक्रय की संविदा हेा सकेगी।

(2) बिक्री का अनुबंध पूर्ण या सशर्त हो सकता है।

(3) जहाँ की माल में की सम्पत्ति विक्रेता से क्रेता को विक्रय की संविदा के अधीन अंतरित होती है वहां संविदा विक्रय कहलाती है किन्तु जहां की माल में की सम्पत्ति का अंतरण किसी आगामी समय में या किसी ऐसी शर्त के अध्यधीन होना है जो तत्पश्चात पूरी की जानी है वहां संविदा विक्रय करने का करार कहलाती है।

(4) विक्रय करने का करार तब विक्रय हो जात है जब वह समय बीत जाता है या वे शर्तों पूरी हो जाती है जिनके अध्यधीन माल में की सम्पत्ति अंतरित होनी है।"

7. बिक्री का सार किसी वस्तु की संपत्ति को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कीमत पर हस्तांतरित करना है। धारा 4 के अनुसार बिक्री के अनुबंध में बेचने का समझौता शामिल है। यह आवश्यक नहीं है कि विक्रय अनुबंध पूर्ण हो यह सशर्त भी हो सकता है। बिक्री के अनुबंध को बेचने के समझौते से अलग करने वाली आवश्यक विशेषता यह है कि बिक्री के अनुबंध में माल में समपति विक्रेता से खरीददार को तुरतं स्थानांतरित कर दी जाती है, जबकि बेचने के समझौते में संपति को भविष्य की तारीख/ तारीखों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। शर्तों के पूरा करने पर या

समझौते प्रदान किया गया समय समाप्त होने पर बेचने का समझौता बिक्री बन जाता है।

8. स्टाम्प अधिनियम की धारा 2 (10) संवहन को परिभाषित करती है, इस प्रकार हैः

> " धारा 2 (10) 'संवहन' - संवहन में बिक्री पर और प्रत्येक लिखत शामिल है जिसके द्वारा सम्पति चाहे चल या अचल जीवित व्यक्तियों के बीच अंतरित की जाती है जिसके लिए प्रथम अनुसूची द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट उपबंध नहीं किया गया है। अनुसूची ।-ए या अनुसूची 1-बी जैसा भी मामला हो।"

स्पष्टीकरण -

9. धारा 2 (14) जैसा कि यूपी में संशोधन से पहले प्रासंगिक समय पर मौजूद था। 2001 का अधिनियम 38 इस प्रकार हैः

> " धारा 2 (14) – लिखत में प्रत्येक दस्तावेज़ शामिल है जिसके द्वारा कोई भी अधिकार या दायित्व बनाया स्थानांतरित, सीमित, विस्तारित, समाप्त या दर्ज किया जाता है या किया जाना जाना अभिप्रेत है।"

10. धारर 3 चार्जिंग धारा है। जहां तक यह प्रासंगिक है, यह इस प्रकार हैः-

" धारा 3. शुल्क के साथ प्रभार्य लिखत - इस अधिनियम के प्रावधानों और अनुसूची एक में निहित छूट के तहत निम्नलिखित लिखत सारणी में वर्णित प्रभार्य राशि शुल्क के साथ अर्थात

(ए)

(बी)

(सी)

बशर्ते कि, इस अधि० में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए को छोड़कर और इस धारा के खंड (ए), (बी) या (सी) या अनुसूची I या I-A में निहित किसी भी बात के बावजूद निम्नलिखित लिखत छूट के अधीन होंगे। अनुसूची 1-ए या 1-बी में अंकित राशि के शुल्क के साथ या उचित शुल्क के रूप में प्रभार्य होगा। अर्थात

(एए) अनुसूची I-A या 1-बी में उल्लेखित प्रत्येक लिखत जो पहले किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित नहीं होते हुए उत्तरप्रदेश में निष्पादित की गई हो।

(I) .....

(ii) अनुसूची 1-बी में उल्लेखित लिखत के मामले में उस तारीख को या उसके बाद जिस दिन यूपी स्टाम्प संशोधन अधिनियम 1952 लागू हुआ

(बीबी) अनुसूची 1 या 1-बी में उल्लेखित प्रत्येक लिखत जो पहले किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित न होते हुए उत्तरप्रदेश से बाहर निष्पादित की गई हो।

(I) .....

(ii) अनुसूची 1-बी में उल्लेखित लिखत के मामले में जिस तारीख को या उसके बाद यूपी स्टाम्प संशोंधन अधि. लागू होता हे यूपी में किसी भी सम्पत्ति या किए जाने वाले किसी भी बात से संबंधित है और यूपी में प्राप्त होता है।

बशर्ते की निम्नलिखित के सबंध में कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

(I) .....

(ii) .....

स्पष्टीकरण -

जहां अनुसूची 1-बी में निर्धारित शुल्क की राशि में एक रूपए का कोइ अंश शामिल है, पच्चीस पैसे से कम या

पच्चीस पैसे से उपर लेकिन पचास पैसे से कम या पचास पैसे से उपर लेकिन पचहतर पैसे से कम, या पचहतर से उपर लेकिन एक रूपया, उचित शुल्क एक रूपए की अगली उच्चतर तिमाही में पूर्णांकित राशि होगी। जैसा कि इसके बाद उक्त अनुसूची में दिखाया गया है। "

11. स्टाम्प अधि० से जुड़ी अनुसूची 1-बी में इसके तहत वर्णित उपकरणों के संबंध में स्टाम्प शुल्क की दरो का प्रावधान है। धारा 2 (10) द्वारा परिभाषित संवहन पर स्टाम्प शुल्क की दर का प्रावधान है। इसे अनुच्छेद 62 के तहत छूट नहीं है।

लिखत का वर्णन

सम्यक स्टाम्प शुल्क

23. संवहन जैसा कि धारा 2 (10) द्वारा परिभाषित किया गया है। सं. 62 के तहत स्थांनांतरण शुल्क या छूट नहीं है।

(a) .....

(b) यदि चल संपति से संबंधित है - [मद 136 परिशिष्ट-II देखें] जहां 20 रूपए की राशि या प्रतिफल का मूल्य ऐसे परिवहन की राशि जैसा कि उसमे निर्धारित है हजार रूपए से अधिक नहीं है और प्रत्येक हजार रूपए और उसका भाग एक हजार रूपए से अधिक बीस रूपए की छूट

भारत के निवासी या पहली बार प्रकाशित संगीत कार्यो के लिए कॉपीरोई ट का असाइनमेंट

स्पष्टीकरण – इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए किसी अचल सम्पत्ति को बेचने के समझौते के मामले में जहां कब्जा निष्पादन से पहले या निष्पादन के समय प्रदान किया जाता है या कन्वेयंस निष्पादित किए बिना प्रदान करने की सहमति व्यक्त की जाती है तो समझौते में यह समझा जाएगा कि कन्वेंयंस और स्टाम्प शुल्क तदनुसार देय होगा।

बशर्ते की धारा 47ए के प्रावधान यथाेचित परिवर्तनों सहित ऐसे समझौते पर लागू होंगे।

बशर्ते कि जब इस तरह के समझौते के अनुसरण में कन्वेयंस निष्पादित किया जाता है तो समझौते पर भुगतान की गई । स्टाम्प डयूटी को कन्वेंयस पर देय शुल्क में समायोजित किया जाएगा।

12. दस्तावेज शब्द को स्टाम्प अधि. में परिभाषित नहीं किया गया है। यद्यपि सामान्य खण्ड अधिनियम 1897 में दस्तावेज को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है।

" धारा 3 (18) - दस्तावेज़ में कोई भी लिखत विषय शामिल होगा, दस्तावेज के अंतर्गत ऐसा कोई विषय आएगा जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरो अंको या चिन्हों के साधन द्वारा या उनके से एक साधन द्वारा लिखित अभिव्यक्त

या व्रणित किया गया है जो उस विष्य के अभिलेखो के प्रयोजन से उपयोग किए जाने को आश्रित हो या उपयोग किया जा सके।"

13. धारा 2 (10) के तहत, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रत्येक दस्तावेज़ जिसके द्वारा चल संपत्ति हस्तांतरित की जाती है संवहन है। क्या पक्षकारों के बीच कच्चे राल की बिक्री का अनुबंध चल समपति के हंस्तांतरण के बराबर है? हमारी राय में यह है। विचाराधीन अनुबंध में चल सम्पत्ति के हस्तांतरण की सभी आवश्यक शर्तें पूरी होती है। इस दस्तावेज के द्वारा रिट याचिकाकर्ता के पक्ष में कच्चे राल की नीलामी की गई लोट का अधिकार सर्जित किया गया है। तदनुसार राज्य सरकार दस्तावेज में निर्दिष्ट कच्चे राल की मात्रा वितरित करने के लिए बाध्य है। प्रासंगिक रूप से खण्ड । (बी) में प्रावधान है कि बेची गई राल बोली की स्वीकृति की तारीख से क्रेता के जोखिम पर रहेगी और विक्रेता किसीभी कारण से होने वाले नुकसान व क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। दस्तावेज को समग्र रूप से पढ़ने पर इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि नीलामी में कच्चे राल की सम्पति विषय अनुबंध केपरिणामस्वरू क्रेता में निहित है इस प्रकार यह चल संपति के हस्तांतरण के बराबर है। भले ही 24 मार्च 01 के दस्तावेज को 7 अप्रेल 01 के स्वीकृति पत्र के मध्यनजर बेचने के लिए एक समझौते के रूप में माना जाता है जिसके तहत रीट याचिकाकर्ता को सूचित किया गया है कि सार्वजनिक नीलामी उसके नाम पर स्वीकार की

जाती है और उसे उठाने की व्यवस्था करनी होगी। इस पत्र के जारी होने के 60 दिनो के भीतर नीलाम की गई राल की यह बहुत स्पष्ट है कि 24 मार्च 01 का बिक्री अनुबंध 7 अप्रेल् 01 के पत्र के साथ पढ़ा जाए तो धारा 2 (10) के अर्थ में संवहन के समान है और अनुच्छेद 23 अनुसूची । बी के तहत स्टाम्प लगाया जाता है क्योंकि माना जाता है कि अनुच्छे 62 के तहत ऐसे परिवहन के संबंध में स्टाम्प शुल्क के भुगतान में कोई छूट नहीं है।

14. यह सच है कि 24 मार्च 2001 के अनुबंध दस्तावेज में 39000 रूपए सुरक्षा के रूप में क्रेता से सभी अनुबंधो की उचित पूर्ति के लिए प्राप्त किए गए हैं किन्तु इस तरह का एक खंड इसे सुरक्षा दस्तावेज नहीं बनता है जैसा कि डिवीजन बैंच ने विवादित आदेश में कहा।

15. डिवीजन बेंच ने 13 अप्रैल, 2004 के फैसले की समीक्षा करते समय समीक्षा के दायरे से परे यात्रा की । हमारे विचार में 13 अप्रैल, 2004 के फैसले में लिया गया दृष्टिकोण रिकॉर्ड के चेहरे पर स्पष्ट रूप से किसी भी त्रुटि से ग्रस्त नहीं था जेा इसकी समीक्ष को उचित ठहराता था।

16. तदनुसार, अपीलों की अनुमति दी जाती है और 27 दिसंबर, 2007 के आक्षेपित फैसले को रद्द किया जाता है। पक्षकार अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे।

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी कमल सोनी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकारणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।